12

(64)

राज निवास
दिल्ली-११००५४
RAJ NIWAS
DELHI-110054

सत्यमेव जयते

AC (PLG) MPPR
Dairy No. 656
Date 13/06/12

Commr. (Plg) - II
Dairy No. I-464
Date 19-6-12

Enclosed please find suggestions received for revision of Master Plan 2021 in the open house of North Zone.

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. L-11
Dated 21/6/12

Hon'ble Lt. Governor has desired that the suggestions may be examined by Commissioner (Planning-II), DDA for appropriate action.

13/6/2012
(Devinder Singh)
Spl. Secretary to LG

Commissioner, Planning-II, DDA
U.O. No.100(3)/12/RN/6724 Dated: 19/6/2012
8801

19/6/12

AC(MPPR)

13/6/2012

Dir (MPR)

21/6

AD(PG) III

बदलाव के लिए बताए ग्यारह रास्ते

मास्टर प्लान 2021 को और बेहतर बनाने के लिए डीडीए ने सोमवार को नॉर्थ जोन से खुले मंच की शुरुआत की है। पहले ही दिन लोगों ने डीडीए को मास्टर प्लान की खामियां गिनाते हुए उसमें सुधार के लिए तमाम सुझाव दिए। इनमें से कई सुझावों को डीडीए के अधिकारियों ने सराहा और उन पर गौर करने की भी बात कही। दिल्ली में बदलाव के लिए खास तौर से बताए गए ग्यारह रास्तों पर निशांत राघव की रिपोर्ट।

डीडीए के रोहिणी स्थित कार्यालय में सोमवार को बाहर खड़ी गाड़ियां और गेट पर लगा बड़ा सा पोस्टर बयां कर रहा था कि कार्यालय के भीतर किसी मसले पर बैठक चल रही है। अन्य दिनों में खाली रहने वाले इस कार्यालय के मुख्य प्रांगण में खूब चहल-पहल थी। लोग सामने लगी टीवी स्क्रीन पर पर नजरें गड़ाए हुए थे और अंदर चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहे थे।

दरअसल ये सभी लोग मास्टर प्लान 2021 में संशोधन को लेकर रखे गए खुले मंच में शामिल होने आए थे। डीडीए ने पांच अलग-अलग जोन के लिए अलग-अलग तारीख मुकर्रर की है। पहले दिन नॉर्थ जोन के लिए आयोजित खुले मंच पर लोगों ने अपने विचार और आपत्तियां दर्ज कराई। दो सौ से अधिक लोगों ने डीडीए कार्यप्रणाली के प्रति न केवल अपनी नाराजगी जाहिर की बल्कि शहर के विकास के लिए क्या और किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर भी अपने सुझाव रखे। मुख्य रूप से हाई राइज बिल्डिंग, सड़कों के विस्तार, वाटर ट्रीटमेंट और लाल डोरा तथा खाली पड़ी जमीन के सही इस्तेमाल के बारे में लोगों ने सुझाव रखे।

परिवहन

रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात मास्टर प्लान में तो की गई है पर दिल्ली के बाहरी इलाकों के लिए इसे लेकर कोई ठोस योजना अब तक परवान नहीं चढ़ सकी है।

जल संयंत्र

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए मास्टर प्लान में जोर तो दिया गया है लेकिन इसके लिए स्थान का जिक्र नहीं है।

ऊंची इमारतें

जरूरी नहीं कि सभी लोग मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों मे रहना पसंद करें। मास्टर प्लान में हाईराइज बिल्डिंग के साथ प्लॉट पर भी लोगों को बसाने की बात है।

रिहायशी इलाके को बदलकर औद्योगिक इलाका बनाया जा रहा है। जबकि तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए यह सही नहीं है। वैसे भी वर्ष 2001 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बढ़ती आबादी को दिल्ली के आस-पास के इलाकों में बसाने के लिए एक योजना तैयार की थी लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। अभी भी डीडीए बिना सोचे समझे नीति बनाने में जुटा हुआ है। वह अपने हिसाब से मास्टर प्लान को भी तोड़-मरोड़ रहा है।

हरपाल सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली विकास समिति

लोगों ने कई बेहतरीन सुझाव रखे हैं। इनमें से कई सुझावों पर गौर कर उन्हें मास्टर प्लान में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। खासतौर पर लाल डोरा व सड़कों के विस्तार से संबंधित सुझाव गौर करने लायक हैं।

डीएस मिश्रा, अध्यक्ष, खुला मंच व इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर के अध्यक्ष

• ग्राफिक : अवधेश

नॉर्थ जोन-1 : लोगों ने दिए सुझाव

01 एक तिहाई लोगों को बसाया जाए एनसीआर में

एक करोड़ से अधिक की आबादी होने पर लगभग 37 लाख लोगों को एनसीआर में और एक लाख को गांव में विकास करके बसाया जा सकता है। लेकिन इस योजना पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। नतीजतन आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और उनके लिए संसाधन व सुविधाओं की कमी लगातार बढ़ी हो रही है। ऐसे में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट और भी मायने रखती है, क्योंकि स्वयं डीडीए ने भी पिछले दिनों दिल्ली के बाहरी इलाकों में पांच उप नगर बसाने के बारे में प्रस्ताव तैयार किया था। साथ ही उस प्रस्ताव के तहत उप नगर भी बसाए जा रहे हैं। इसके आगे क्या करना है, इस पर अभी विचार होना बाकी है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट वर्ष 2001 में तैयार की गई थी।

02 अलग-अलग क्षेत्रों में बनें गोदाम

एग्रीकल्चर लैंड पर गोदाम बनाए गए हैं, शहर भर का सामान इन्हीं गोदामों में रखा जा रहा है। भारी वाहनों के बार-बार आने-जाने से नई सड़कें बहुत जल्द बेकार हो जाती हैं और जमीन का भी सही प्रयोग नहीं हो रहा। बेहतर हो कि शहर के अलग-अलग स्थान पर गोदाम बना दिए जाएं, ताकि सामान को रखने और ले जाने के लिए भारी वाहनों को बार-बार इधर-उधर न घूमना पड़े। खाली होने वाली जमीन को रिहायशी अथवा फार्म हाउस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे भी मास्टर प्लान में एग्रीकल्चर भूमि पर गोदाम बनाए जाने की बात नहीं है। पिछले कुछ समय से इस योजना पर कार्य आरंभ हो चुका है कि ऐसे वाहनों को दिल्ली में भीतर तक प्रवेश न करना पड़े, जो सिर्फ समान ढोने के लिए यहां के रास्तों का प्रयोग करते हैं।

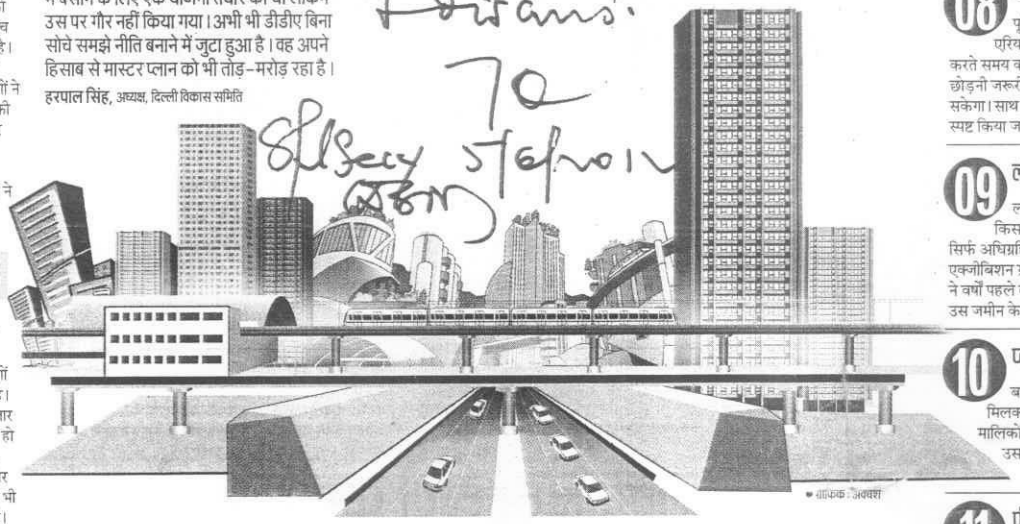

2001 में लागू होना था दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2021

2006 में मास्टर प्लान की फिर से समीक्षा होनी थी

2007 में कई इलाकों के सैटेलाइट सर्वे के आधार पर नक्शे तैयार

2011 तक बन जाने थे कम आय वर्ग वालों के लिए एक लाख मकान

03 गांव के लिए बने कॉमर्शियल स्पेस

गांव के बाहर दस एकड़ जमीन में कॉमर्शियल कार्य के लिए स्थान तैयार किया जाए, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही इन गांव में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास को रफ्तार दी जाए। वैसे अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है। मास्टर प्लान में इस संशोधन से गांव में रहने वालों के साथ ही उससे सटे शहरी इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा।

04 खादर में इमारतों के लिए फिर हो समीक्षा

मास्टर प्लान में पहले निर्धारित किया गया था कि खादर जैसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें अथवा रिहायशी बहुमंजिला भवन नहीं बन सकते, लेकिन अब डीडीए खुद इस योजना को अमली जामा पहना रहा है। क्या इस तरह की इजाजत देने से पहले जरूरी नहीं कि सारे पहलुओं पर गौर किया जाए। यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है।

05 सड़क बनाने के लिए न उजाड़ें बस्तियां

डीडीए ने रोड विस्तार के लिए बख्तावरपुर, बुराड़ी व अन्य इलाकों में योजना बनाई है, लेकिन योजना में जिन इलाकों में सड़कें बनाने के बारे में बताया जा रहा है, वहां तो पुरानी आबादी है, जो की अवैध नहीं है। क्या इसे उजाड़कर डीडीए सड़कों का विस्तार करेगा। स्पष्ट है कि योजना बनाते समय किसी भी तरह से मौका मुआयना नहीं किया गया। अन्यथा इस तरह की योजना ही नहीं बनती, जिसमें लोगों को नफा कम नुकसान अधिक हो।

06 ग्रामीणों के लिए रोजगार की व्यवस्था

गांव की जमीन लेकर महंगे होटल और अन्य कालोनियां तो बसा दी गई हैं लेकिन इन गांवों के बेरोजगार किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए कुछ ऐसा हो कि खेती करने वाले किसानों के लिए जमीन अधिग्रहित करने के साथ ही रोजगार के लिए भी स्थान बनाया जाए। या किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए, ताकि खेती न होने पर भी वे परिवार का पेट पाल सकें।

07 नहरों के साथ बनें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

बेहतर हो यदि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शहर के बीचों-बीच बनाने के बजाय किसी नहर के आस-पास बनाया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नालों के आस-पास ही बनाए जाने चाहिए। इससे पानी को घरों तक पहुंचाने में कम से कम नुकसान होगा और सीवेज वाटर का भी सही तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। क्योंकि पानी को शहर में लाकर साफ करना और फिर सप्लाई करने के लिए उसे वापस बाहरी इलाके में ले जाना समझदारी नहीं।

08 सड़कों के साथ बने सर्विस लेन

पूरे शहर में सड़कें इस तरह से बनाई जाएं कि उसके साथ ग्रीन एरिया और सर्विस रोड दोनों बन सकें। भविष्य में सड़कों के विस्तार करते समय कोई दिक्कत न आए इसके लिए सड़कों के दोनों तरफ पर्याप्त जगह छोड़नी जरूरी है। सर्विस लेन बनने से जाम की समस्या से भी निबटा जा सकेगा। साथ ही शहर की सुंदरता में सड़कों को भूमिका भी होती है, वह भी स्पष्ट किया जा सकता है।

09 लोलडोरा की जमीन का हो बेहतर प्रंबधन

लाल डोरा की जमीन को मिक्सड लैंड यूज किया जा सके, इससे किसानों को भी रोजगार के लिए एक बेहतर अवसर मिलेगा। जमीन को सिर्फ अधिग्रहित न किया जाए, बल्कि उसका सही उपयोग भी हो। क्योंकि एक्जीबिशन ग्राउंड अथवा सिटी पार्क के लिए जगह तो डीडीए तथा वन विभाग ने वर्षों पहले ले ली, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। बल्कि अब उस जमीन के अलावा अन्य स्थानों पर पार्क तैयार हो रहे हैं।

10 प्लॉटों के सामूहिक विकास को मिले मंजूरी

बढ़ती आबादी के मद्देनजर दो छोटे प्लॉट पर यदि कोई एक साथ मिलकर निर्माण करना चाहे तो इसके लिए इजाजत मिल सके। जमीन मालिकों को भी उस अनुपात में जमीन विकसित करके दी जाए कि वे उसका सही इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप जमीन के मालिकाना हक और कुल एरिया पर ही ध्यान दें।

11 पीपीपी मॉडल पर हो जमीन का अधिग्रहण

जमीन का अधिग्रहण पीपीपी मॉडल पर हो तो संभवतः मुआवजा दर को लेकर विवाद कुछ थम सकता है। इसमें हिस्सेदारी पच्चीस-तीस प्रतिशत किसानों के पक्ष में होनी चाहिए। अथवा सरकार भी उसे मार्केट रेट पर अधिग्रहित करे। वैसे किसान चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य रोजगार पर सरकार ध्यान दे रही है, ठीक उसी तरह से खेती को भी रोजगार को दृष्टि से देखते हुए कार्य करते हुए जमीन का अधिग्रहण का बेहतर तरीका अपनाए।

खुला मंच : सुझाव देने का मौका

मास्टर प्लान 2021 में संशोधन को लेकर शुरू हुआ खुले मंच में आम लोगों के साथ ही विभिन्न संगठनों ने भी डीडीए के समक्ष अपने सुझाव व शिकायतें रखने का सिलसिला आरंभ कर दिया है। यह सिलसिला मई माह के अंत तक जारी रहेगा। नॉर्थ जोन स्थित रोहिणी में सोमवार और मंगलवार को खुले मंच का आयोजन किया गया है। पहले दिन जहां सिविल लाइंस, नॉर्थ दिल्ली तथा नरेला जोन के लोगों ने अपने विचार रखे वहीं मंगलवार को नॉर्थ वेस्ट के लोगों को मौका दिया गया है। इसके बाद आठ मई को दूसरा खुला मंच दिल्ली का मुख्य बिंदु कहे जाने वाले इलाके दक्षिणी दिल्ली जोन में होगा। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यह मंच लगाया जाएगा। इसके बाद बारी होगी पश्चिमी दिल्ली की, यहां पर पश्चिम विहार में पंद्रह मई को खुले मंच का आयोजन

शिकायत भी कम नहीं

बख्तावरपुर, टिगीपुर और आस-पास के इलाकों में नए बसने वाले तेरह सेक्टरों के लिए अब तक कोई ठोस योजना न तो मास्टर प्लान में है और न ही डीडीए के पास। डीडीए ने

एक ओर तो हाईराइज बिल्डिंग बनाने के लिए अनुमति देने की तैयारी हो रही है, दूसरी ओर

औद्योगिक इलाका होने के बावजूद पुराने उद्योगों की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, जबकि नए प्लांटस को तमाम सुविधाएं दी

लाल डोरा की आबादी पर हाईराइज निर्माण की इजाजत होनी चाहिए। इतना ही नहीं चकबंदी की जमीन पर